कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वंय की योजनाओं एवं राज्य व खादी और ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) की योजनाओं के संचालन हेतु जो मापमान निर्धारित किये गये है, उनके कृत्यों के निर्वहन हेतु वर्षवार लक्ष्यों का निर्धारण कर उपलब्धि प्राप्त कर योजनाओं के दायित्वों की प्रतिपूर्ति की जाती है। योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से उल्लिखित किया जा रहा है :–

खादी विकास योजना

उत्तराखण्ड में भेड पालन सीमान्त पर्वतीय जनपदों में एक अच्छा व्यवसाय है। उनके द्वारा उत्पादित ऊन के विपणन की व्यवसाय को उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन के पूर्व नियोजित नही थी, जिससे भेड पालकों को उचित मूल्य नही मिल पाता था। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड खादी बोर्ड द्वारा ऊन बैंक की स्थापना की गई है। योजना अन्तर्गत पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्थानीय भेड़पालकों की ऊन को विभागीय ऊन क्रय समिति के माध्यम से क्रय किया जाता है।

कार्यालय/केन्द्रों का विवरण निम्नवत् है–

जनपद	उत्पादन केन्द्र	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)	दूरभाश संख्या
चमोली	गोपेश्वर भीमतल्ला, देवाल, रडुवा	श्रीनगर	01346.257118
रूद्रप्रयाग	सुमाड़ी		
पौडी	श्रीनगर,		
हरिद्वार	–	चम्बा	01376.255203
टिहरी	चम्बा		
उत्तरकाशी	डुण्डा		
देहरादून	भोगपुर		
पिथौरागढ	धारचूला, मुनस्यारी,	अल्मोड़ा	05962.230112
बागेश्वर	कपकोट		
अल्मोडा	अल्मोडा/दुगालखोला		
उद्यमसिंह नगर	जसपुर,श्रीपुर बिचवा, बिन्दुखत्ता	जसपुर	05947.220012
नैनीताल	–		
चम्पावत्	–		

उत्तराखण्ड ऊन योजना की प्रगति विवरण वर्ष 2024–25

क्र0सं0	केन्द्र का नाम	उत्पादन (धनराशि लाख में)		बिक्री (धनराशि लाख में)		रोजगार संख्या	मजदूरी (धनराशि लाख में)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि		
1	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) चम्बा	77.64	78.50	100.00	78.06	79	15.08
2	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) श्रीनगर	77.64	22.21	100.00	26.27	35	2.27
3	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) अल्मोडा	77.64	54.34	100.00	50.80	64	13.79
4	लोक वस्त्र इकाई जसपुर उ0सिंह नगर	72.00	74.79	72.00	69.99	100	28.89
	योग–	**304.92**	**229.84**	**372.00**	**225.12**	**278**	**60.02**

उत्तराखण्ड ऊन बैक की स्थापना का विवरण

उत्तराखण्ड ऊन बैंक की स्थापना क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) श्रीनगर में की गयी है जिनके उपकेन्द्र क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) चम्बा/श्रीनगर/अल्मोडा के अन्तर्गत संचालित है तथा निविदा के माध्यम से ऊन क्रय उपरान्त खादी ग्रामोद्योगी संस्था समितियों एवं व्यक्तिगत उद्यमियों उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की विभागीय इकाईयों एवं कतकर बुनकर कारीगरो की माँग पर आपूर्ति किया जाता है।

वर्ष 2024–25 मे क्रय की गई ऊन का विवरण

क्र0	फर्म का नाम	किस्म	मात्रा कुन्तल	धनराशि लाख
1	मै0 दून वैली निटिंग मिल्स पटेलनगर देहरादून	आस्टेलियन मैरिनों, न्यूजीलैण्ड, हर्षिल	160.00	149.24
	योग	–	**160.00**	**149.24**

वर्ष 2024–25 मे क्रय की गई रूई का विवरण

क्र0	जनपद का नाम	किस्म	मात्रा कुन्तल	धनराशि लाख
1	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) जसपुर	रूई/पौली	83.24	21.25
	योग	–	**83.24**	**21.35**

वर्ष 2024–25 में कताई बुनाई प्रशिक्षण

क्र0	जनपद का नाम	कतकर	बुनकर
1	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) चम्बा	–	–
2	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) श्रीनगर	–	–
3	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) अल्मोडा	–	–
	योग	–	–

ग्रामोद्योग विकास की योजनायें

इन योजनाओं में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं / व्यक्तियों को आर्थिक सहायता /सुविधा प्रदत्त की जाती है :–

(1)पंजीकृत ग्रामोद्योगी सहकारी समितियां,

(2)पंजीकृत समाज सेवी संस्थायें

(3)व्यक्तिगत उद्यमी

ग्रामीण एवं 20 हजार से कम आबादी के शहरी क्षेत्र की संस्थाओं/ समितियों एवं व्यक्तिगत उद्यमियों को खादी एवं ग्रामोद्योग की योजनाओं के अर्न्तगत वित्त पोषण की सुविधा इन योजनाओं के अर्न्तगत दी जाती है। इन योजनाओं में नकारात्मक सूची के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रामीण उद्योगो को वित्तपोषित किया जाता है। इन योजनाओं में अस्थाई पूँजी विनियोजन प्रति कारीगर 50 हजार निर्धारित है।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनायें

1– मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऐसे उद्यमशील युवा उद्यमी, जो राज्य के मूल अथवा स्थाई निवासियों और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, को स्वरोजगार के लिये प्रेरित करने एवं स्वयं के उद्यम, सेवा एवं व्यवसाय को प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिये अधिकतम् रू0 25.00 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिये अधिकतम लागत रू0 10.00 लाख तक है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2024–25 की उपलब्धि निम्नानुसार है

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष	लक्ष्य इकाई सं0	उपलब्धि इकाई सं0
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	2024–25	3350	1236

- **खादी ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) द्वारा वित्त पोषित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम**

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार की योजना है। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवक/युवतियों तथा विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को स्वरोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने तथा विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है।

योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार स्थापना हेतु सेवा क्षेत्र हेतु धनराशि रू0 20.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र में धनराशि रू0 50.00 लाख तक का ऋण विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता हैं ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के लाभार्थीयों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान का प्राविधान है। विशेष श्रेणियों के लिये मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत किये जाने का प्राविधान है। लाभार्थी का स्वयं का अंशदान सामान्य श्रेणी–10 प्रतिशत एवं विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिये 05 प्रतिशत।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2024–25 की उपलब्धि निम्नानुसार है

क्र0 सं0	योजना का नाम	लक्ष्य			पूर्ति		
		भौतिक	मा0मनी	रोजगार	ई0सं0	मा0मनी	रोजगार
1	प्रधानमंत्री रोजगार रोजगार सृजन कार्यक्रम	329	901.32	3619	224	689.02	2491

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2024–25 तक निम्नलिखित मुख्य कार्य सम्पादित किये गये :–

- **प्रर्दशनियो का आयोजनः–** वर्ष 2024–25 में विगत वर्षो की भॉति बोर्ड की योजनाओं का प्रचार–प्रसार एवं वित्तपोषित इकाईयों व उद्यमियों द्वारा उत्पादित एवं निर्मित उत्पादों की बिक्री तथा विपणन की दृष्टि से जनपद स्तर पर निर्धारित मेलों /प्रद्रर्शनी में बोर्ड के उत्पादों व उद्यमियों को सम्मिलित किया जाता है।

- गॉधी जयंन्ती के शुभअवसर पर खादी वस्त्रो की बिक्री पर 2024–25 में प्रान्तीय रिबेट को 10 प्रतिशत का छूट का लाभ आम जनता के पक्ष में देते हुये खादी संस्थाओ को राज्य सरकार के माध्यम से अनुमन्य करायी गई।
- खादी संस्थाओ के कारीगरों के उत्थान हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित जन श्री बीमा योजना एवं कामगार कोष में खादी कारीगरो को जोडा गया है।